

दिनांक 16.05.2024

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। परिवादी मय विद्वान अधिवक्ता श्री यज्ञदेव भट्ट उपस्थित।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि पत्रावली अभियुक्त की उपस्थिति हेतु नियत चली आ रही है। परिवादी के द्वारा पूर्व तिथि में पैरवी नहीं ली गयी। परिवादी को न्यायहित में अवसर प्रदान किया जाता है। अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व आदेश के अनुपालन में पुनः गैर जमानती वारण्ट एवं उसके जामीनान को नोटिस जारी हो। परिवादी आवश्यक पैरवी तीन दिन के भीतर लेना सुनिश्चित करे।

पत्रावली वास्ते अभियुक्त की उपस्थिति दिनांक 31.05.2024 को पेश हो।

(प्रतीक मथेला)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
पौड़ी गढ़वाल।